राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(पी–294 / 1988) / अलेसे–III / 386 दिनांक :– 28.6.2023

कार्यालय आदेश

श्री लालचन्द सोनी (मेरिट नं0 294 / 88), कनि. लेखाकार (तत्कालीन) कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बीकानेर द्वारा रूपये 60,000 / – की रिश्वत लेने के प्रकरण में दिनांक 18.09.2015 को ट्रैप किये जाने एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 10714–719 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा दिनांक 18.09.2015 से निलम्बित किया गया था। श्री लालचन्द सोनी को निलंबन से बहाली के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक / क–2 / 97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा क्रमांक प.6 (23) प्रसु / अनु–3 / 99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों / अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 26.09.2018 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयेजित की गई। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(3)वित्त / राजस्व / 2014 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा प्रेषित उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुसार श्री लालचन्द सोनी को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय लिया गया उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री लालचन्द सोनी को विभागीय आदेश संख्या 255 / 2018–19 दिनांक 06.12.2018 के द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री लालचन्द सोनी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बीकानेर द्वारा दर्ज मुकदमा संख्या 252 / 2015 (सेशन प्रकरण संख्या 07 / 2016) में माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर ने आदेश दिनांक 25.10.2021 द्वारा श्री सोनी के विरूद्ध चार्ज लगाए जाने के आदेश जारी किये गए। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 25.10.2021 के विरूद्ध श्री सोनी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस0बी0 क्रिमिनल रिविजन पिटिशन संख्या 1071 / 2021 दायर की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2023 द्वारा माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर के आदेश दिनांक 25.10.2021 एवं माननीय सेशन न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 07 / 2016 को खारिज करते हुए श्री सोनी को आरोपों से उन्मोचित कर दिया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 28.03.2023 के संबंध में राजस्थान सरकार विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग ने महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान, जयपुर को प्रेषित अपने पत्रांक दिनांक 12.05.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अपील नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका हैं। श्री लालचन्द सोनी के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित / प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री लालचन्द सोनी, कनि. लेखाकार की निलम्बन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं कि:–

1. श्री लालचन्द सोनी को निलम्बन काल में भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे।
2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(पी–294 / 1988) / अलेसे–III / 388 दिनांक :– 28.6.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक (जांच) / उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. पंचायत समिति प्रशिक्षण केन्द्र, बीकोनर।
8. श्री लालचन्द सोनी, कनि. लेखाकार कार्यालय पंचायत समिति प्रशिक्षण केन्द्र, बीकोनर।
9. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / एसीआर शाखा / डीपीसी शाखा / निजी पत्रावली / गार्ड फाइल।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)